महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर–334004 (राजस्थान) भारत
NH. 15, Jaisalmer Road, Bikaner- 334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष / Phoe: 0151-2210076 फैक्स / Fax: 2212042 ई–मेल / E-mail: academicmgsu@gmail.com

---

क्रमांक : एफ.07(170) / मगंसिंविबी / शैक्ष. / 2023 / 358-378 दिनांक : 6/10/23

समस्त माननीय सदस्य,
प्रबंध मण्डल,
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

विषय : प्रबन्ध मण्डल की 42 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 27.09.2023 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 42 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का प्रारूप विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 341 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में आपत्ति आमंत्रित की गई थी। उक्त कार्यवाही विवरण पर किसी भी माननीय सदस्य द्वारा लिखित में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्रबंध मण्डल की 42 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी किया जाता है जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

6/10/2023
कुलसचिव

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविवी/प्रबन्ध बोर्ड-42/2023/ दिनांक

प्रबन्ध बोर्ड की 42 वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 42वीं बैठक दिनांक 27 सितम्बर,2023 को प्रातः 11:30 बजे प्रबन्ध बोर्ड सभागार, महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) में माननीय कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	**आचार्य मनोज दीक्षित** महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	डॉ. सतीश कुमार, विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा राज. सरकार, जयपुर	सदस्य (ऑनलाइन माध्यम से)
3	**श्री वरूण यादव** माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाइन माध्यम से)
4	**श्री एन.एस. बिस्सा** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाइन माध्यम से)
5	**डॉ0 भगवानाराम बिश्नोई** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	सदस्य
6	**डॉ0 अनन्त जोशी** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
7	**डॉ0 मीनू पूनिया** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
8	**प्रो0 अनिल कुमार छंगाणी** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
9	**प्रो0 राजाराम चोयल** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
10	**श्री अरूण प्रकाश शर्मा** **कुलसचिव**	सदस्य

बैठक के प्रारम्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की 42 वीं बैठक में उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुडे सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। विशेषकर विश्वविद्यालय प्रबन्ध वोर्ड में नव मनोनीत आचार्य मनोज दीक्षित जी का स्वागत किया गया तथा निवर्तमान अध्यक्ष प्रो. विनोद कुमार सिंह जी द्वारा प्रबन्ध बोर्ड में दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबन्ध बोर्ड की 41वीं बैठक दिनांक 14-06-2023 के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
526	दिनांक 14-06-2023 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध बोर्ड की 41वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव। परिशिष्ट-1 (पृष्ठ संख्या :1-8)	
निर्णय	कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। साथ ही सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय सदस्यों को कार्यवाही विवरण का प्रारूप ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर निश्चित अवधि में आपत्ति आमंत्रित की जाती है। तत्श्चात् अंतिम रूप से कार्यवाही विवरण जारी किया जाता है जिसकी हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति माननीय सदस्यों को प्रेषित की जाती है। अतः आगामी बैठक में उक्त कार्यवाही विवरण की पुष्टि कराने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। यदि प्रबन्ध बोर्ड निर्णय लेता है तो आगामी बैठक से पालना रिपोर्ट से मद प्रस्तुत किये जाने प्रस्तावित है। सदस्य सचिव के उक्त सुझाव से समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।	
527	दिनांक 14-06-2023 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 41 वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट-2 (पृष्ठ संख्या : 9-53)	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड की 41 वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) का अनुमोदन किया गया।**	
गत बैठक के स्थगित मद		
512	प्रतिवेदित है कि प्रबन्ध बोर्ड की 41 वीं बैठक दिनांक 14-06-2023 को मद संख्या 512 को स्थगित करते हुए वित्तीय वर्ष की अवधि के पश्चात् एवं लेखानुदान के माध्यम से किये गए भुगतान के संदर्भ में वित्त नियंत्रक की राय सहित क्रय की गई ई-बुक्स के संबंध में सम्पूर्ण विवरण मय सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गए। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में पुस्तकालय मद में राशि रू. 2 करोड़ का प्रावधान किया गया था। उक्त अवधि में पुस्तकालय द्वारा क्रय करने की कार्यवाही करते हुए राशि रू. 15189561.00/- की ई-बुक्स क्रय की गई जिसके भुगतान हेतु दिनांक 29 मार्च, 2023 को बिल प्रस्तुत किये गए। उक्त बिलों की जांच एवं अन्य कार्यवाही में समय लगने के कारण 31 मार्च, 2023 तक भुगतान नहीं किया जा सका। माननीय कुलपति महोदय की पत्रावली पर प्रदत्त आज्ञा दिनांक 27-04-2023 की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1070-74	

	दिनांक 27-04-2023 के द्वारा राशि रू. 15189561.00/- के भुगतान की स्वीकृति प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में संलग्न विवरण मय सूची प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट-3 (पृष्ठ संख्या : 54-127)	
निर्णय	**विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित सूची एवं उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार मानते हुए विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 1070-74 दिनांक 27-04-2023 के द्वारा की गई भुगतान राशि रू. 15189561.00/- के आदेश की प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई। भविष्य के लिए एक सुस्पष्ट तथा पारदर्शी व्यवस्था करने पर विचार की सुस्तुति की गई।**	
513	**प्रतिवेदित है कि** प्रबन्ध बोर्ड की 41 वीं बैठक दिनांक 14-06-2023 को मद संख्या 513 को स्थगित करते हुए वित्तीय वर्ष की अवधि के पश्चात् एवं लेखानुदान के माध्यम से किये गए भुगतान के संदर्भ में वित्त नियंत्रक की राय सहित सम्पूर्ण विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गए। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय परीक्षा-2023 में उत्तरपुस्तिका सप्लाई फर्म द्वारा कार्य पूर्ण करने पर 90 प्रतिशत राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में उक्त मद में प्रावधान किया गया था परन्तु तत्समय कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उक्त वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट अनुमोदित नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधान होने के कारण परीक्षा जैसे महत्वूपर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए माननीय कुलपति के स्तर से प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में राशि रू. 19557411/- का भुगतान संबंधित फर्म को किया गया। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में संलग्न विवरण मय वित्त नियंत्रक की टिप्पणी सहित प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट-4 (पृष्ठ संख्या : 128)	
निर्णय	**वित्त नियंत्रक एवं गठित समिति की रिपोर्ट को आधार मानते हुए प्रबन्ध बोर्ड द्वारा परीक्षा-2023 में उत्तरपुस्तिका सप्लाई फर्म को 90 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के आदेश की पुष्टि की गई। साथ ही माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि भविष्य में 01 करोड़ या उससे अधिक भुगतान राशि का व्यय होने पर उसकी पूर्व अनुमति बोर्ड से ली जावें।**	

528	प्रतिवेदित है कि विद्या परिषद् की 22 वीं बैठक दिनांक 21-08-2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 के प्रावधानानुसार प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय द्वारा किया गया। प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट-5 (पृष्ठ संख्या : 129-137)	
निर्णय	**विद्या परिषद् की 22वीं बैठक 21-08-2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन की पुष्टि की गई।**	
529	राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिरक्षण हेतु अधिवक्ताओं की विधिक फीस का निर्धारण करने के लिए गठित समिति की अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट-6 (पृष्ठ संख्या : 138)	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**	
530	प्रबन्ध बोर्ड की 36 वीं बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2022 के विनिर्णय संख्या 470 की पालना में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रावधानानुसार (जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 के धारा 48 के अनुसार प्रभावी है) अनुभाग अधिकारी से सहायक कुलसचिव पद पर पदोन्नति करने हेतु दिनांक 14-07-2023 को आतंरिक चयन समिति की बैठक आयोजित हुई। आतंरिक चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा प्रबन्ध बोर्ड की बैठक के दौरान माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आतंरिक चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए श्री मुकेश पुरोहित, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 01-04-2023 तथा श्री रजत भटनागर, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 01-09-2023 से सहायक कुलसचिव पद पर पदोन्नति करने का निर्णय लिया गया।**	
531	विश्वविद्यालय खेल बोर्ड की बैठक दिनांक 27-07-2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट-7 (पृष्ठ संख्या : 139-142)	
निर्णय	**विश्वविद्यालय खेल बोर्ड की बैठक दिनांक 27-07-2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**	
532	प्रतिवेदित है कि Ward Exemp, Jodhpur आयकर विभाग, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1055725339(1) दिनांक 04-09-2023 प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, विश्वविद्यालय, शाखा, बीकानेर को जारी नोटिस की प्रति कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्राप्ति के अनुसार आयकर विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के बैंक खाते को अटैच करते हुए राशि रू. 683526170/- आयकर विभाग को जमा कराने के निर्देश प्रदान किये गए। सनद लेखाकार के माध्यम से आयकर विभाग, जयपुर और जोधपुर में विश्वविद्यालय का पक्ष रखने के उपरान्त कुल राशि का 20 प्रतिशत जमा कराने के क्रम में प्रथम किश्त के रूप में सक्षम स्वीकृति	

	पश्चात् विश्वविद्यालय की सहमति से पंजाब नेशनल बैंक द्वारा डी.डी. संख्या 14970001 राशि रू. 2.50 करोड तथा डी.डी. संख्या 14970002 राशि रू. 2.50 कुल राशि 5.00 करोड़ आयकर विभाग में जमा कराये गए। शेष राशि 2-2 माह की तीन किश्तों में जमा कराई जानी है। प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुष्टि एवं विचारार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट-8 (पृष्ठ संख्या : 143-148)	
निर्णय	**प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए प्रकरण में प्रभावी रूप से पैरवी करवाकर आयकर एवं आरोपित शास्ति से मुक्त कराने के प्रयास किये जाए।**	
टेबल मद		
533	विश्वविद्यालय में वर्ष 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना(ओ.पी.एस.) लागू होने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 के स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के प्रभावी होने के संबंध में प्रस्ताव।	
निर्णय	**प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए पेंशन नियम, 1996 में समय-समय पर होने वाले संशोधनों को भी विश्वविद्यालय में प्रभावी किये जाने का भी निर्णय लिया गया।**	
माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से		
	(1) माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि आगामी दीक्षान्त समारोह दिसम्बर, 2023 में आयोजित होना प्रस्तावित है। उक्त दीक्षान्त समारोह में मानद उपाधि प्रदान की जानी है। अतः समस्त सदस्य मानद उपाधि प्रदान करने के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करने का श्रम करे। (2) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को विश्वविद्यालय में नवाचार करने हेतु अधिकृत किया गया।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

6/10/2023

(अरूण प्रकाश शर्मा)
सदस्य सचिव